Fourteenth Loksabha

Session : 13
Date : 26-02-2008

Participants : Prasad Shri Hari Kewal

>

Title: Need to give a remunerative price of sugarcane to farmers in Uttar Pradesh.

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, उत्तर प्रदेश तथा देश में गन्ना किसानों को उनके गन्ने का उत्पादन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में गन्ना मिल मालिकों की याचिका पर माननीय न्यायालय ने गन्ने का मूल्य निजी मिल मालिकों के लिए 110 रुपये प्रति क्विंटल रखा है, जिसके कारण सार्वजनिक चीनी मिल एवं सहकारी चीनी मिलों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। यह निर्णीत मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम था तथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने किसानों के हित में अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा और न ही इस आदेश के लिए कोई अपील की गयी ए वं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे तत्काल लागू भी कर दिया। जब गन्ना उत्पादक किसान अपने हक के लिए आन्दोलन करते हैं, तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है और उन्हें जेल भेजा जाता है। पिछले साल का किसानों का गन्ना मूल्य चीनी मिलों पर अभी तक बकाया है जिसका भुगतान नहीं किया गया है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में गन्ने का मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने का निर्णय दिया है जिसे राज्य सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस निर्णय के तहत जो गन्ना किसानों को मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल रखा है, उसको तत्काल लागू किया जाये और किसानों का लंबित बकाया भुगतान तत्काल किया जाये।